[2022] 12 एस. सी. आर 641

ए.

सुंदरेश भट्ट, ए. बी. जी. शिप्यार्ड बनाम के समकक्ष।

अप्रत्यक्ष करों और शुल्कों का केंद्रीय बोर्ड (2021 की सिविल अपील संख्या 7667)

बी.

26 अगस्त, 2022

[एन. वी. रमना, मुख्य न्यायाधीश , जे. के. माहेश्वरी और हिमा कोहली, जे. जे.]

दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016-ss.14, 33(5), 53, 238 – सीमा शुल्क अधिनियम-क्या आई. बी. सी. के प्रावधान सीमा शुल्क अधिनियम पर प्रबल होंगे और यदि हैं, तो किस हद तक-आयोजित किया गयाःआई. बी. सी. सीमा शुल्क अधिनियम पर इस हद तक हावी रहेगा कि एक बार एस. एस. के संदर्भ में रोक लगा दी जाती है।14 या आई. बी. सी. के 33 (5), जैसा भी मामला हो, प्रत्यर्थी प्राधिकरण के पास सीमा शुल्क और अन्य शुल्कों की मात्रा का आकलन/निर्धारण करने के लिए केवल एक सीमित अधिकार क्षेत्र है-प्रत्यर्थी प्राधिकरण के पास सीमा शुल्क अधिनियम के तहत प्रदान की गई बिक्री/ज़ब्ती के माध्यम से बकाया की वसूली शुरू करने की शक्ति नहीं है-इस तरह के मूल्यांकन के बाद, प्रत्यर्थी प्राधिकरण को आई. बी. सी. के तहत निर्धारित समय अवधि के सख्त अनुपालन में निर्धारित प्रक्रिया के संदर्भ में अपने दावे (सीमा शुल्क बकाया// परिचालन ऋण से संबंधित) न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करने होते हैं-किसी भी मामले में, आई. आर. पी./आर. पी./परिसमापक तुरंत प्रत्यर्थी प्राधिकरण से सामान सुरक्षित कर सकता है, जिससे आई. बी. सी. के संदर्भ में उचित तरीके से निपटा जा सके।दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016-कॉर्पोरेट दिवाला प्रक्रिया-भारत में कॉर्पोरेट दिवाला प्रक्रिया में शामिल विभिन्न चरणों पर चर्चा की गई।

सी.

डी.

ई.

एफ.

दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 -एस. 14-स्थगन का उद्देश्य-आयोजितःआई. बी. सी. की धारा 14 में निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया (सी. आई. आर. पी.) की कार्यवाही शुरू करने और उसके प्रभावों पर रोक लगाने का निर्देश दिया गया है-इस रोक का एक उद्देश्य दिवाला समाधान प्रक्रिया के दौरान निगमित ऋणदाता की परिसंपत्तियों को एक साथ रखना और कानून के तहत परिकल्पित प्रक्रियाओं को व्यवस्थित रूप से पूरा करने की सुविधा प्रदान करना

है-ऐसे उपाय समानांतर कार्यवाही में कटौती सुनिश्चित करते हैं और प्रक्रिया में परस्पर विरोधी परिणामों की संभावना को कम करते हैं-इस रोक को लागू करने की प्रेरणाओं में से एक एस.14(1)(आई. बी. सी. का ए), (बी), और (सी)

जी.

एच.

641 ए.

642 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2022] 12 एस. सी. आर.

एक ढाल के रूप में जो कॉर्पोरेट ऋणदाता के खिलाफ आर्थिक हमलों की रक्षा करता है-यह कॉर्पोरेट ऋणदाता को सांस लेने की जगह प्रदान करने के लिए किया जाता है, ताकि इसे एक चालू चिंता के रूप में जारी रखा जा सके और खुद को पुनर्स्थापित किया जा सके-कोई भी विपरीत व्याख्या इस ढाल को तोड़ देगी और प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य पर प्रतिकूल परिणाम होगा।

बी.

शब्द और वाक्यांश-"वस्तुओं का परित्याग"-पर चर्चा की गई।सीमा शुल्क कलेक्टर बनाम डायट्रॉन (इंडिया) लिमिटेड 1999 ई. एल. टी.

342 कैल **(39);** एस**.** वी**.** कोंडास्कर बनाम वी**.** एम**.** देशपांडे**,** आकाशवाणी

1972 एससी 878:[1972] 2 एससीआर 965 (43); गुजरात ऊर्जा

सी.

विकास निगम लिमिटेड बनाम.अमित गुप्ता (2021) 7 एससीसी 209 (47)

– संदर्भित किया गया।

संदर्भित निर्णय

[1972] 2 एससीआर **965**

संदर्भित किया गया है

पैरा **43**

डी.

(2021) 7 एससीसी **209**

संदर्भित किया गया है

पैरा **47**

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णय:2021 की सिविल अपील No.7667।

2021 के कंपनी अपील (एटी) (दिवाला) No.236 में राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण, नई दिल्ली के दिनांकित 22.11.2021 के निर्णय और आदेश से।

ई.

तुषार मेहता, एस. जी., के. एम. नटराज, ए. एस. जी., डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी, गौरव मित्रा, अरविंद दातार, जय सावला, मुकुल रोहतगी, सिद्धार्थ दवे, विक्रम नानकानी, Sr.Advs।, समीर पंडित, अमन राज गांधी, पार्थसारथी बोस, अनुज जैन, अधिवक्तागण लाढा, अनन्या प्रताप सिंह, अजीम सैमुअल, निधिराम, आकाश काकड़े, गुरदीप सिंह सच्चर, विक्रांत शेट्टी, श्रिया राय चौधरी, श्वेतब कुमार, सोमनाथ पधन, अभिषेक शर्मा, सुश्री एशली चेरियन, गौरव अरोड़ा, कमलेंद्र सिंह, सुश्री रेणुका, सुश्री रेणुका साहू, आलोक त्रिपाठी, रुपेश कुमार, कन्नू अग्रवाल, मयंक पांडे, मुकेश कुमार मारोरिया, शिव मंगल शर्मा, सौरभ राजपाल, सुश्री सृजन खोसला, मेसर्स औरा एंड कंपनी के लिए जसदीप सिंह ढिल्लों, सलिल ठाकुर, प्रभाव चौर।उपस्थित दलों के लिए।

एफ.

जी.

एच.

643

सुंदरेश भट्ट, ए. बी. जी. शिप्यार्ड बनाम अप्रत्यक्ष करों और ग्राहकों का केंद्रीय बोर्ड ए.

ए.

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

एन. वी. रमना, मुख्य न्यायाधीश

1. दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 ("आई. बी. सी".) की धारा 62 (1) के तहत वर्तमान दीवानी अपील राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण, नई दिल्ली ("एन. सी. एल. ए. टी".) द्वारा 2021 की कंपनी अपील (ए. टी.) (दिवाला) संख्या 236 में पारित किए गए विवादित फैसले से उत्पन्न होती है। विवादित फैसले के माध्यम से, एन. सी. एल. ए. टी. ने राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण, अहमदाबाद ("एन. सी. एल. टी".)/न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के आदेश के खिलाफ प्रत्यर्थी द्वारा दायर अपील को स्वीकार कर लिया है, जिसके तहत न्यायनिर्णायक प्राधिकरण ने सीमा शुल्क और अन्य शुल्कों के भुगतान के बिना सीमा शुल्क बंधुआ गोदामों में पड़े कुछ सामानों को छोड़ने का निर्देश दिया है।

बी.

सी.

2. वर्तमान अपील के निपटारे के लिए आवश्यक तथ्यों का विवरण इस प्रकार हैःएबीजी शिपयार्ड ("कॉर्पोरेट देनदार") इसके खिलाफ कॉर्पोरेट दिवालिया कार्यवाही शुरू करने से पहले जहाज निर्माण के व्यवसाय में था।अपने व्यावसायिक उद्यम के एक हिस्से के रूप में, यह नियमित रूप से जहाजों के निर्माण के उद्देश्य से विभिन्न सामग्रियों का आयात करता था जिन्हें पूरा होने पर निर्यात किया जाना था।इनमें से कुछ सामान कॉर्पोरेट देनदार द्वारा गुजरात में कस्टम बॉन्डेड वेयरहाउस और महाराष्ट्र में कंटेनर फ्रेट स्टेशनों में संग्रहीत किए गए थे।भंडारण के लिए प्रवेश के बिल संबंधित समय पर प्रस्तुत किए गए थे।निगमित देनदार ने एक निर्यात संवर्धन पूंजीगत वस्तु योजना ("ई. पी. सी. जी. योजना") का भी लाभ उठाया और उसे उक्त भंडारित वस्तुओं के संबंध में उक्त योजना ("ई. पी. सी. जी. लाइसेंस") के तहत लाइसेंस दिया गया।3. राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण, अहमदाबाद ("एन. सी. एल. टी".) ने आई. डी. 1 पर निगमित ऋणदाता के खिलाफ निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया ("सी. आई. आर. पी".) शुरू करने का आदेश पारित किया और अपीलार्थी को अंतरिम समाधान पेशेवर के रूप में नियुक्त किया गया।इसी आदेश में, एन. सी. एल. टी. ने आई. बी. सी. की धारा 13 (1) (ए) के तहत स्थगन की भी घोषणा की।

डी.

ई.

एफ.

4. आई. डी. 1 पर, अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी को सी. आई. आर. पी. की शुरुआत के बारे में सूचित किया और भंडारित वस्तुओं की अभिरक्षा मांगी और प्रत्यर्थी से अनुरोध किया कि वह उनका निपटान या नीलामी न करे।29.03.2019 पर, प्रत्यर्थी ने पहली बार कॉर्पोरेट देनदार को ई. पी. सी. जी. लाइसेंस के संदर्भ में निर्यात दायित्वों को पूरा न करने के संबंध में एक नोटिस जारी किया, जिसमें 500 करोड़ रुपये के सीमा शुल्क की मांग की गई। 17,13,989-ब्याज के साथ।02.04.2019 से 07.04.2019 तक, प्रत्यर्थी ने पाँच जारी किए

जी.

एच.

विभिन्न राशियों के लिए विभिन्न ई. पी. सी. जी. लाइसेंसों के तहत निर्यात दायित्वों को पूरा न करने के संबंध में निगमित ऋणदाता को विभिन्न मांग नोटिस।कॉरपोरेट देनदार द्वारा ई. पी. सी. जी.

लाइसेंस शर्तों को पूरा न करने के लिए प्रत्यर्थी द्वारा जारी किए गए मांग नोटिसों का विवरण संदर्भ में आसानी के लिए यहां सारणीबद्ध किया गया हैः

एस. एन. ओ	डी एटीई	डी. डिमांड एन. ओ. टी. आई. सी. ई. टी. आई. एल.	डी ने एक माउंट की मांग की (प्लस इंटरेस्ट एज़ एप्लिकेबल)
1	29.03.2019	ई. पी. सी. जी. लाइसेंस सं. 5230007265 दिनांकित 16.07.2010	रु. 17,13,989
2	02.04.2019	ई. पी. सी. जी. लाइसेंस सं. 5230008206 दिनांकित 16.11.2010	रु. 96,20,325
3	04.04.2019	ई. पी. सी. जी. लाइसेंस सं. 5230007016 दिनांक 17.05.2010	रु. 53,29,072
4	05.04.2019	ई. पी. सी. जी. लाइसेंस सं. 5230007082 दिनांक 03.06.2010	रु. 2,05,73,402
5	05.04.2019	ई. पी. सी. जी. लाइसेंस सं. 5230006881 दिनांक 31.03.2010	रु. 6,64,646
6	07.04.2019	ई. पी. सी. जी. लाइसेंस सं. 5 एल 32206936 दिनांक 20.04.2010	रु. 12,04,09,501

बी.

सी.

5. एन. सी. एल. टी. ने आई. बी. सी. की धारा 33 (2) के तहत निगमित देनदार के खिलाफ परिसमापन शुरू करने का आदेश पारित किया। उक्त आदेश के माध्यम से, एन. सी. एल. टी. ने

घोषणा की कि आई. बी. सी. की धारा 13 (1) (ए) के तहत लगाए गए पहले के स्थगन का प्रभाव आई. बी. सी. की धारा 14 (4) के संचालन से समाप्त हो जाएगा। हालांकि, आई. बी. सी. की धारा 33 (5) के तहत एक नया निर्देश पारित किया गया था, जिसमें कॉर्पोरेट देनदार द्वारा या उसके खिलाफ किसी भी मुकदमे या कानूनी कार्यवाही की स्थापना पर रोक लगा दी गई थी।इसके अलावा, एन. सी. एल. टी. ने उसी आदेश के अनुसार अपीलार्थी को परिसमापक के रूप में भी नियुक्त किया।6. इसके बाद, प्रत्यर्थी ने आई. बी. सी. के तहत 20.05.2019,27.05.2019 और 29.05.2019 पर गुजरात और महाराष्ट्र दोनों में भंडारित वस्तुओं के लिए अपीलकर्ता के समक्ष दावा दायर किया। आई. डी. 1 पर, अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी को अपने अधिकारियों के माध्यम से सूचित किया कि निगमित ऋणदाता के खिलाफ परिसमापन की कार्यवाही शुरू हो गई है और माल को अपीलार्थी को जारी किया जाना है।

डी.

ई.

एफ.

7. प्रत्यर्थी द्वारा निष्क्रियता के कारण, अपीलार्थी ने आई. बी. सी. की धारा 60 (5) के तहत एन. सी. एल. टी. के समक्ष 2019 की आई. ए. संख्या 474 दायर की, जिसमें प्रत्यर्थी के खिलाफ कॉर्पोरेट देनदार से संबंधित भंडारित सामान को 01.07.2019 पर जारी करने का निर्देश देने की मांग की गई।

जी.

8. इस मोड़ पर, पहली बार 11.07.2019 पर, प्रत्यर्थी ने सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 72 (1) के तहत कॉर्पोरेट देनदार को एक करोड़ रुपये की सीमा शुल्क बकाया राशि के लिए नोटिस जारी किया। 2531 प्रविष्टियों के बिलों पर 763,12,72,645/-।प्रत्यर्थी ने आई. बी. सी. के तहत अपीलार्थी के समक्ष उक्त राशि के लिए समवर्ती दावा दायर किया। अपीलार्थी के समक्ष प्रत्यर्थी द्वारा दावा की गई राशि का विवरण इस प्रकार हैः

एच.

645

सुंदरेश भट्ट, ए. बी. जी. शिप्यार्ड बनाम अप्रत्यक्ष करों और ग्राहकों का केंद्रीय बोर्ड [एन. वी. रमना, सी. जे. आई.] ए.

एस. एन. ओ	डी एटीई	आर ई. एस. पी. ओ. एन. डी. ई. एफ. ओ. आर. एम. सी. के तहत आर. ई. एस. पी. ओ. एन. डी. ई. एफ. ओ. आर. एम. सी. द्वारा तैयार किए गए सी. लाइम्स के डी. ई. टी. एल. ए. एफ.	सी लाइम्ड ए माउण्ट (प्लस इंटरेस्ट ऐज एप्लिकेबल)

		ओ. आर. एम. सी. के तहत एक पी. पी. एल. एल. ए. एन. टी.	
1	20.05.2019	11 ई. पी. सी. जी. लाइसेंसों के तहत दायित्वों को पूरा न करना	रु. 37,92,29,749
2	27.05.2019	37 ई. पी. सी. जी. लाइसेंसों के तहत दायित्वों को पूरा न करना	रु. 151,33,06,859
3	29.05.2019	जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, न्हावा शेवा, महाराष्ट्र से आयातित वस्तुओं की गैर-मंजूरी	रु. 22,70,50,898
4	18.09.2019	गुजरात में कस्टम बाउंडेड गोदामों में सभी कार्गो के लिए देय राशि	रु. 763,12,72,645

ए.

बी.

9. 25.02.2020 पर, एन. सी. एल. टी. ने अपीलार्थी द्वारा दायर 2019 की आई. ए. संख्या 474 की अनुमति दी और निम्नलिखित निर्देश पारित किएः

“14) इसलिए, वर्तमान आई. ए. को अनुमति दी जानी चाहिए।तदनुसार, इसकी अनुमति इसके प्रार्थना खंड के साथ-साथ निम्नलिखित निर्देशों के संदर्भ में दी जाती है।

सी.

i) प्रत्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि वे आवेदक-परिसमापक को उस सामग्री को हटाने की अनुमति दें, जो सीमा शुल्क बंधुआ गोदामों में पड़ी है, बिना किसी शर्त के, सीमा शुल्क और/या सीमा शुल्क का भुगतान।

डी.

ii) प्रत्यर्थियों को दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 के प्रावधानों के तहत और कानून के अनुसार परिसमापक के समक्ष सामग्री जारी करने पर देय सीमा शुल्क शुल्क के संबंध में अपना दावा दायर करने की स्वतंत्रता है, जो कॉर्पोरेट ऋणदाता कंपनी (परिसमापन में) की परिसंपत्तियों का हिस्सा है।

ई.

iii) सीमा शुल्क विभाग परिसमापक से इस आदेश की प्रामाणिक प्रति प्राप्त होने की तारीख से दो सप्ताह के भीतर माल/सामग्री को हटाने की अनुमति देगा।iv) इस बीच, प्रत्यर्थी अपने सीमा शुल्क की वसूली के उद्देश्य से निगमित ऋणदाता कंपनी के स्वामित्व वाली सामग्री की नीलामी, बिक्री या विनियोग के लिए आगे नहीं बढ़ेंगे, जो एल एंड बी संहिता के उल्लंघन के समान हो सकता है और निगमित ऋणदाता कंपनी (परिसमापन के तहत) के आवेदक/परिसमापक को नुकसानदेह स्थिति में डाल सकता है।"

एफ.

जी.

10. एन. सी. एल. टी. ने आई. बी. सी. की धारा 238 पर विचार किया और अभिनिर्धारित किया कि आई. बी. सी. में गैर-अस्थाई खंड, बाद के कानून का हिस्सा होने के कारण,

एच.

सीमा शुल्क अधिनियम के तहत कार्यवाही पर इसका प्रमुख प्रभाव पड़ेगा। इसके अलावा, आई. बी. सी. की धारा 53 के तहत झरना तंत्र को देखते हुए, एन. सी. एल. टी. ने कहा कि परिसंपत्तियों के परिसमापन की बिक्री से कार्यवाही का वितरण भी सीमा शुल्क अधिनियम के प्रावधानों पर हावी होगा।एन. सी. एल. टी. ने अभिनिर्धारित किया कि सरकारी देय राशि के रूप में, प्रत्यर्थी के दावों को आई. बी. सी. की धारा 53 के अनुसार निपटाना होगा। उपरोक्त के अलावा, एन. सी. एल. टी. ने केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा जारी एक परिपत्र पर भी भरोसा किया, जो केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 11 ई से संबंधित परिपत्र संख्या 1053/02/2017-सी. एक्स दिनांक 10.03.2017 है।उपर्युक्त परिपत्र में स्पष्ट किया गया है कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम के तहत बकाया का पहला शुल्क आई. बी. सी. के प्रावधानों के तहत बकाया की वसूली के बाद ही लगेगा।चूंकि सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 142 ए केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 11 ई के साथ समान है, इसलिए एन. सी. एल. टी. ने उक्त धारा की व्याख्या करने के लिए वही तर्क लागू किया कि आई. बी. सी. के प्रावधानों को प्राथमिकता दी गई है।

बी.

सी.

11. उपरोक्त निर्णय के बाद, अपीलार्थी ने सूरत में भंडारित माल को रु। 169.11 करोड़।गुजरात के दहेज में भंडारित माल के संबंध में बिक्री प्रक्रिया वर्तमान में चल रही है और इसे 2021 की सी. ए. संख्या 7722 और 2021 की सी. ए. संख्या 7731 में इस न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई है।

डी.

12. 04.03.2021 पर, प्रत्यर्थी ने NCLT द्वारा पारित 25.02.2020 दिनांकित आदेश को चुनौती देते हुए NCLAT के समक्ष एक अपील दायर की। आई. डी. 1 पर, एन. सी. एल. ए. टी. ने विवादित आदेश पारित किया, जिसके तहत उसने प्रत्यर्थी द्वारा दायर अपील की अनुमति दी और एन. सी. एल. टी. के निर्देशों को अपास्त करना दिया, जिसमें प्रत्यर्थी को सीमा शुल्क की मांग किए बिना अपीलार्थी के कब्जे में भंडारित माल को छोड़ने की आवश्यकता थी।इसके बजाय एन. सी. एल. ए. टी. ने निर्देश दिया कि भंडारित वस्तुओं को "छोड़ा या निपटाया" जा सकता है।

ई.

उचित अधिकारी द्वारा सीमा शुल्क अधिनियम के लागू प्रावधानों के अनुसार।

एफ.

13. एन. सी. एल. ए. टी. ने प्रत्यर्थी की अपील को स्वीकार करते हुए कहा कि सीमा शुल्क बंधुआ गोदाम में पड़ी वस्तुएं निगमित देनदार की संपत्ति नहीं थीं क्योंकि उनके आयात के बाद न तो निगमित देनदार द्वारा उनका दावा किया गया था और न ही कुछ वस्तुओं के लिए प्रवेश के बिलों को मंजूरी दी गई थी।उक्त प्रविष्टि बिलों को दाखिल नहीं करके, एन. सी. एल. ए. टी. ने माना कि आयातक, यानी कॉर्पोरेट देनदार ने आयातित वस्तुओं पर अपना अधिकार छोड़ दिया था।एन. सी. एल. ए. टी. ने अभिनिर्धारित किया कि ऐसा माना जाता है कि निगमित देनदार ने सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 48 और 72 की कार्रवाई से आयातित वस्तुओं पर अपना अधिकार खो दिया है। इस प्रकार, प्रत्यर्थी को माल बेचने और सरकारी बकाया की वसूली करने का अधिकार है।

जी.

एच.

647

सुंदरेश भट्ट, ए. बी. जी. शिप्यार्ड बनाम अप्रत्यक्ष करों और ग्राहकों का केंद्रीय बोर्ड [एन. वी. रमना, सी. जे. आई.]
ए.

ए.

14. एन. सी. एल. ए. टी. ने कहा कि 'आयातित सामान', जो सीमा शुल्क के अधीन हैं, एक अलग आधार पर खड़े हैं क्योंकि सीमा शुल्क का भुगतान माल के आयात का परिणाम है न कि कॉर्पोरेट देनदार पर इसका भुगतान करने का दायित्व है।अपीलार्थी उस निगमित ऋणदाता से बेहतर स्थिति में नहीं खड़ा हो सकता है जिसका वह प्रतिनिधित्व करता है और उन परिसंपत्तियों का कब्जा नहीं ले सकता है जिन्हें निगमित ऋणदाता स्वयं प्राप्त नहीं कर सकता था।इसलिए भंडारित वस्तुओं को छोड़ने के लिए सीमा शुल्क का भुगतान करने की आवश्यकता है।

बी.

15. एन. सी. एल. ए. टी. ने माना कि सीमा शुल्क अधिनियम एक पूर्ण संहिता है जो प्रदान करता है कि भंडारित वस्तुओं को तब तक जारी नहीं किया जा सकता जब तक कि आयात शुल्क का भुगतान नहीं किया जाता है।केवल प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी के समक्ष 'प्रपत्र सी' के तहत दावे दायर करना भंडारित माल पर प्रत्यर्थी के अधिकार के त्याग को दर्शाने के लिए नहीं लिया जा सकता है।

सी.

16. सीमा शुल्क अधिनियम पर आई. बी. सी. की प्राथमिकता के मुद्दे पर, एन. सी. एल. ए. टी. ने कहा कि वर्तमान मामले में यह मुद्दा नहीं उठा है, क्योंकि विचाराधीन वस्तुओं का आयात सी. आई. आर. पी. की शुरुआत से पहले किया गया था। जबकि कंटेनरों का आयात 2012 से 2015 के बीच किया गया था, सी. आई. आर. पी. केवल 2017 में शुरू किया गया था और कॉर्पोरेट देनदार 2019 में परिसमापन में चला गया था।आयात शुल्क का भुगतान नहीं करने से, कॉर्पोरेट देनदार ने सी. आई. आर. पी. की शुरुआत से पहले भंडारित वस्तुओं का अधिकार खो दिया था। एन. सी. एल. ए. टी. ने अभिनिर्धारित किया कि ये भंडारित माल एक अलग आधार पर खड़े हैं और इन्हें निगमित ऋणदाता की संपत्ति नहीं माना जा सकता है जो आई. बी. सी. प्रावधानों के अधीन थे।

डी.

ई.

17. एन. सी. एल. ए. टी. द्वारा पारित उपरोक्त फैसले से व्यथित होकर, अपीलार्थी ने विवादित फैसले के खिलाफ वर्तमान दीवानी अपील दायर की है।18. अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री अरविंद दातार ने निम्नानुसार प्रस्तुत विद्वान ः

एफ.

आई. निगमित देनदार माल का मालिक होता है।विद्वान वरिष्ठ वकील ने सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 48 का उल्लेख विद्वान और कहा कि यह केवल उन वस्तुओं पर लागू होता है जिन्हें आयातक द्वारा न तो मंजूरी दी जाती है और न ही भंडारित विद्वान जाता है।हालाँकि, यह धारा वर्तमान मामले में लागू नहीं होती है क्योंकि प्रत्यर्थी द्वारा जारी किया गया नोटिस और दायर किया गया फॉर्म सी भंडारित वस्तुओं के संबंध में है।इस प्रकार, सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 72 के तहत प्रत्यर्थी द्वारा जारी नोटिस और इसके परिणामस्वरूप फॉर्म सी किसी भी तरह से सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 48 को आकर्षित नहीं करता है।

जी.

एच.

ii.निगमित देनदार ने माल का स्वामित्व नहीं खोया है जैसा कि प्रत्यर्थी ने आरोप लगाया है। प्रत्यर्थी ने सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 72 के तहत नोटिस जारी करके और परिसमापक के साथ अपना दावा दायर करके स्वीकार किया है कि कॉर्पोरेट देनदार मालिक है।सीमा शुल्क अधिनियम की न तो धारा 72 और न ही 48 प्रत्यर्थी को किसी भी हस्तांतरण का संकेत देती है। निगमित देनदार ने भी माल का स्वामित्व कभी नहीं छोड़ा है और प्रत्यर्थी को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है।

बी.

iii.आई. बी. सी. की धारा 38 के तहत दावे प्रस्तुत करके, प्रत्यर्थी ने अपने बकाया को आई. बी. सी. द्वारा नियंत्रित करने के लिए चुना है, और विशेष रूप से, आई. बी. सी. की धारा 53 प्रदान किए गए वितरण मैट्रिक्स के अधीन। अपीलार्थी के समक्ष प्रत्यर्थी द्वारा किए गए दावे पूरी तरह से माल के कॉर्पोरेट देनदार के स्वामित्व पर आधारित हैं।प्रत्यर्थी इस न्यायालय के समक्ष फिर से दावा करके एक ही समय में गर्म और ठंडा नहीं कर सकता है कि कॉर्पोरेट देनदार ने उक्त माल का स्वामित्व खो दिया है।

सी.

डी.

iv.प्रत्यर्थी सीमा शुल्क अधिनियम के तहत अपने अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता था, क्योंकि सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 142 ए के तहत प्रत्यर्थी का वैधानिक प्रभार स्पष्ट रूप से आईबीसी के अधीन है।

ई.

v. प्रत्यर्थी द्वारा निगमित देनदार के सामान की अभिरक्षा आई. बी. सी. की धारा 14 और 33 का उल्लंघन है। आई. बी. सी. की धारा 14 (1) (ए) स्थगन अवधि के दौरान निगमित ऋणदाता के खिलाफ संस्था या कार्यवाही जारी रखने को स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित करती है।इसके अलावा, धारा 14 (1) (सी) में कहा गया है कि निगमित ऋणदाता के खिलाफ किसी भी प्रतिभूति हित का पूर्वनिर्धारण, वसूली या प्रवर्तन निषिद्ध है।19. प्रत्यर्थी की ओर से पेश हुए भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल श्री के. एम. नटराज ने निम्नानुसार प्रस्तुत विद्वान ः

एफ.

जी.

आई. कस्टम बॉन्डेड वेयरहाउस में छोड़े गए सामान कॉर्पोरेट देनदार की संपत्ति नहीं हैं।ऐसा इसलिए है क्योंकि आयात किए जाने के बाद इन वस्तुओं पर कभी दावा नहीं किया गया था।रिकॉर्ड के अनुसार, माल का आयात वर्ष 2012 और 2015 के बीच किया गया था, और कॉर्पोरेट देनदार ने 2019 में परिसमापन प्रक्रिया शुरू की।4 वर्षों की इस अवधि में, कॉर्पोरेट ए

एच.

649

सुंदरेश भट्ट, ए. बी. जी. शिप्यार्ड बनाम अप्रत्यक्ष करों और ग्राहकों का केंद्रीय बोर्ड [एन. वी. रमना, सी. जे. आई.]
ए.

देनदार ने कभी भी माल के कुछ हिस्से के लिए प्रवेश के बिलों का भुगतान नहीं किया और कस्टम बॉन्डेड वेयरहाउस में पड़ी सभी सामग्री को छोड़ दिया।प्रत्यर्थी द्वारा विभिन्न मांग नोटिसों की प्राप्ति के बावजूद, निगमित देनदार ने माल का भुगतान नहीं किया और इसलिए वे सीमा शुल्क अधिनियम के तहत प्रत्यर्थी द्वारा बेचे जाने के लिए उत्तरदायी हैं।

बी.

ii.परिसमापक आई. बी. सी. की धारा 35 (1) (बी) के तहत केवल निगमित देनदार की संपत्ति को अपने कब्जे में ले सकता है। हालांकि, वर्तमान मामले में, भंडारित माल को कॉर्पोरेट देनदार की संपत्ति नहीं कहा जा सकता है, जब तक कि उन्हें प्रासंगिक बकाया और शुल्कों के भुगतान पर गोदामों से कानूनी रूप से मंजूरी नहीं दी जाती है।इसमें निगमित देनदार ने माल के कुछ हिस्से के लिए प्रवेश शुल्क का भुगतान भी नहीं किया है।

सी.

iii.सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 45 आयातित वस्तुओं की अभिरक्षा और हटाने पर प्रतिबंध लगाती है।यह निर्धारित करता है कि सीमा शुल्क क्षेत्र में उतारे गए सभी आयातित सामान आयुक्त द्वारा अनुमोदित ऐसे व्यक्ति की अभिरक्षा में तब तक रहेंगे जब तक कि उन्हें घरेलू उपभोग के लिए मंजूरी नहीं दे दी जाती है या भंडारित या स्थानांतरित नहीं किया जाता है।इसके अलावा, यह प्रावधान है कि यदि उपरोक्त मानदंडों के अनुसार ऐसी वस्तुओं को मंजूरी नहीं दी जाती है, तो उन्हें उचित अधिकारी की अनुमति के बाद बेचा जा सकता है।सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 71 में आगे कहा गया है कि सीमा शुल्क अधिनियम के तहत प्रदान किए गए प्रावधानों को छोड़कर किसी भी सामान को गोदाम से बाहर नहीं निकाला जाएगा। इसलिए, आयात शुल्क और शुल्क के भुगतान के बिना माल को हटाया नहीं जा सकता है।

डी.

ई.

एफ.

iv.निगमित देनदार ने कई वर्षों से आयातित वस्तुओं को छोड़ दिया है, आयात शुल्क और अन्य शुल्कों का भुगतान करने से इनकार कर दिया है और कई वर्षों से माल पर कब्जा करने का कोई प्रयास नहीं किया है।नतीजतन, कॉर्पोरेट देनदार ने भंडारित वस्तुओं पर अपना अधिकार खो दिया है, और इसलिए सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 72 के तहत, सरकारी अधिकारी बकाया की

वसूली के लिए पूरी तरह से अधिकृत हैं।ऐसी परिस्थिति में, जहां माल पर निगमित देनदार का अधिकार त्याग दिया गया है, परिसमापक को उन पर कब्जा करने का अधिकार नहीं है।

जी.

एच.

650

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2022] 12 एस सी आर।

v. सीमा शुल्क आयात की एक घटना या परिणाम है।सी. आई. आर. पी. शुरू होने से पहले भी, निगमित देनदार उचित शुल्क का भुगतान किए बिना भंडारित माल का कब्जा हासिल नहीं कर सकता था।इसलिए परिसमापक, जो निगमित ऋणदाता का प्रतिनिधित्व कर रहा है, स्वयं निगमित ऋणदाता से बेहतर स्थिति में नहीं खड़ा हो सकता है।

बी.

vi.यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि केवल इसलिए कि प्रत्यर्थी ने परिसमापक के समक्ष अपना दावा दायर किया था, यह नहीं कहा जा सकता है कि प्रत्यर्थी ने भंडारित वस्तुओं पर अपने अधिकारों को छोड़ दिया था।प्रत्यर्थी द्वारा दावा केवल अपने बकाया का भुगतान करने के लिए दायर किया गया था, और इसलिए इसे अपने अधिकारों के त्याग या परित्याग के रूप में नहीं देखा जा सकता है।

सी.

20. इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई दलीलों और दस्तावेजों के आलोक में, हमें दो महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर देने के लिए कहा जाता है जो हमारे विचार के लिए उत्पन्न होते हैंः

क) क्या आई. बी. सी. के प्रावधान सीमा शुल्क अधिनियम पर हावी होंगे, और यदि हैं, तो किस हद तक?

डी.

ख) क्या प्रत्यर्थी माल पर स्वामित्व का दावा कर सकता है और परिसमापन प्रक्रिया शुरू होने पर सीमा शुल्क अधिनियम के संदर्भ में माल बेचने के लिए नोटिस जारी कर सकता है?

ई.

एक नैलिसिस

21. यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि यह प्रश्न महत्वपूर्ण है क्योंकि निगमित ऋणदाता से संबंधित भंडारित सामान जो परिसमापन के तहत है, सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा सीमा शुल्क बकाया के

बदले में बेचे जाने की मांग की जाती है।प्रत्यर्थी ने ऐसी शक्ति ग्रहण करने के लिए सीमा शुल्क अधिनियम के कुछ प्रावधानों पर भरोसा किया है।इसमें अपीलार्थी द्वारा इसका जोरदार विरोध किया गया है, जिसने तर्क दिया है कि एक बार कॉर्पोरेट देनदार के खिलाफ दिवालिया प्रक्रिया शुरू हो जाने के बाद, आई. बी. सी. पूरी तरह से लागू हो जाता है और संपत्ति पर शुल्क को प्राथमिकता देते हुए किसी भी अन्य अधिनियम को ओवरराइड करता है।

एफ.

22. एन. सी. एल. ए. टी. ने कानून के इस सवाल का सीधा जवाब नहीं दिया है।बल्कि, इसने सीमा शुल्क अधिनियम की तुलना में आई. बी. सी. की प्रयोज्यता में अंतर करने के लिए मामले के तथ्यों में प्रवेश किया है। एन. सी. एल. ए. टी. ने माना कि कॉर्पोरेट देनदार ने दिवालिया प्रक्रिया शुरू होने से बहुत पहले माल को छोड़ दिया था, और इस तरह माल का स्वामित्व सीमा शुल्क प्राधिकरण को दे दिया गया था।एन. सी. एल. ए. टी. निम्नानुसार आयोजित की गईः

जी.

एच.

651

सुंदरेश भट्ट, ए. बी. जी. शिप्यार्ड बनाम अप्रत्यक्ष करों और सीमा शुल्कों का केंद्रीय बोर्ड [एन. वी. रमना, सी. जे. आई.] ए.

ए.

“ 7.16 इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि एन. सी. एल. टी. और एन. सी. एल. ए. टी. अन्य न्यायालयों, न्यायाधिकरणों और मंचों के वैध अधिकार क्षेत्र को हड़प नहीं सकते हैं जब विवाद केवल कॉर्पोरेट देनदार की दिवालियापन से या उससे संबंधित नहीं होता है।तत्काल मामले में, निगमित देनदार ने कई वर्षों तक आयातित वस्तुओं को सीमा शुल्क के गोदामों में छोड़ दिया था और आयात शुल्क और अन्य शुल्कों का भुगतान करने में विफल रहा था और कई वर्षों से उन वस्तुओं को अपने कब्जे में लेने के लिए कोई कदम नहीं उठाया था।इसलिए आयातक ने आयातित वस्तुओं पर अपना अधिकार खो दिया था।नतीजतन, सीमा शुल्क अधिकारियों को अधिनियम की धारा 72 के तहत सरकारी बकाया की वसूली के लिए उन वस्तुओं को बेचने का पूरा अधिकार है।परिसमापक को उन वस्तुओं पर कब्जा करने का कोई अधिकार नहीं है जिनके लिए निगमित देनदार का अधिकार कानून के निहितार्थ से त्याग माना जाता है।निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू करने से पहले भी निगमित ऋणदाता कंपनी सीमा शुल्क का भुगतान करने के अलावा आयातित वस्तुओं का कब्जा हासिल नहीं कर सकती थी।समाधान पेशेवर/परिसमापक, जो वस्तुतः कंपनी का प्रतिनिधित्व करता है, खुद कॉर्पोरेट देनदार से बेहतर स्थिति में नहीं खड़ा हो सकता है।

बी.

सी.

डी.

…

7.20 तत्काल मामले में, अपीलार्थी ने परिसमापक द्वारा जारी सूचना के जवाब में परिसमापक के समक्ष अपना दावा दायर किया है।उपर्युक्त मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून को देखते हुए, यह स्पष्ट है कि परिसमापक द्वारा जारी सूचना के जवाब में दावा प्रस्तुत करके, यह नहीं माना जा सकता है कि अपीलार्थी ने संपत्ति पर अपना अधिकार छोड़ दिया था और परिसमापक के अधिकार क्षेत्र में प्रस्तुत किया था।दावा अपने बकाया का भुगतान करने के प्रयास में दायर किया जाता है।फिर भी, यह अपनी अभिरक्षा में भंडारित वस्तुओं पर अपने अधिकार को त्यागने के बराबर नहीं होगा, जिसके लिए अपीलार्थी को सरकारी वस्तुओं की प्राप्ति के लिए उन वस्तुओं को बेचने का पूरा अधिकार है।

ई.

एफ.

…

जी.

7.23 हम प्रत्यर्थी द्वारा दिए गए तर्क से सहमत नहीं हैं क्योंकि निगमित ऋणदाता द्वारा आयातित माल निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया की शुरुआत से बहुत पहले आयात किया गया था, और निगमित ऋणदाता ने आयात के बाद कभी भी उन पर दावा नहीं किया।निर्विवाद रूप से पात्र थे

एच.

2012 से 2015 के बीच आयात किया गया।सी. आई. आर. पी. को 2017 में कॉर्पोरेट देनदार के खिलाफ शुरू किया गया था, और परिसमापन आदेश 25 अप्रैल 2019 को पारित किया गया था।

7.24 इसलिए, निगमित देनदार की परिसंपत्तियाँ क्योंकि निगमित देनदार ने आयात करने के बाद परिसमापन कार्यवाही शुरू करने से पहले सीमा शुल्क और अन्य लागू शुल्कों का भुगतान करके माल को साफ़ करने के लिए कभी कोई प्रयास नहीं किया।निर्विवाद रूप से कंटेनरों का आयात 2012 से 2015 के बीच किया गया था।सी. आई. आर. पी. 2017 में कॉर्पोरेट देनदार के खिलाफ शुरू किया गया था, और परिसमापन आदेश 25 अप्रैल, 2019 में पारित किया गया था।इसलिए सीमा शुल्क बंधुआ गोदामों में पड़ी परिसंपत्तियों को निगमित देनदार की परिसंपत्तियां नहीं माना जा सकता है।परिसमापक का इरादा सीमा शुल्क के अग्रिम भुगतान के बिना सीमा शुल्क के गोदामों से

अपरिष्कृत वस्तुओं को अपने पास रखना है, जो सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के वैधानिक प्रावधानों के खिलाफ है।इसलिए, सीमा शुल्क के अधीन आयातित माल माल/परिसंपत्तियों की तुलना में अलग आधार पर खड़ा होता है, न कि कॉर्पोरेट देनदार के कब्जे में।इसलिए, सीमा शुल्क बंधुआ गोदामों में पड़ी परिसंपत्तियों को कॉर्पोरेट देनदार की परिसंपत्तियां नहीं माना जा सकता है।
23. उपरोक्त संदर्भ में, इस न्यायालय को यह विश्लेषण करने की आवश्यकता है कि क्या एन. सी. एल. ए. टी. का तथ्यों के साथ व्यवहार सही है या फिर नए सिरे से देखने की आवश्यकता है।इससे पहले कि हम मामले की विस्तृत चर्चा और विश्लेषण में प्रवेश करें, सीमा शुल्क अधिनियम के कुछ प्रावधानों का विश्लेषण करना फायदेमंद होगा जो इस मामले के लिए प्रासंगिक हो सकते हैं।

बी.

सी.

डी.

ई.

24. जब भारत से वस्तुओं का आयात/निर्यात किया जाता है, तो ऐसी वस्तुओं पर सीमा शुल्क लगाया जा सकता है जैसा कि सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 12 के तहत संकेत दिया गया है। इस तरह की कार्रवाई के पीछे कई उद्देश्य हैं-इनमें से कुछ व्यापार संतुलन बनाए रखना, आयात और निर्यात को नियंत्रित करना, घरेलू उद्योग की सुरक्षा, तस्करी की रोकथाम, संरक्षण और विदेशी मुद्रा में वृद्धि आदि हैं।

एफ.

25. जब वस्तुओं का आयात किया जाता है, तो यह या तो घरेलू उपभोग के लिए या परिवहन के लिए हो सकता है।एक आयातक या तो शुल्क का भुगतान करने का विकल्प चुन सकता है और घरेलू उपयोग के लिए तुरंत माल का उपयोग कर सकता है या एक बांड निष्पादित कर सकता है ताकि उक्त माल को गोदाम में रखा जा सके।तदनुसार, एक आयातक को निर्धारित प्रारूप में सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 46 के संदर्भ में या तो घर के उपभोग के लिए या भंडारण के लिए प्रवेश पत्र जमा करना होता है।

जी.

26. जब कोई व्यक्ति माल को गोदाम में रखने का विकल्प चुनता है, तो उसे सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 59 के अनुसार एक बांड निष्पादित करना चाहिए। ऐसा ए।

एच.

653

सुंदरेश भट्ट, ए. बी. जी. शिप्यार्ड बनाम अप्रत्यक्ष करों और ग्राहकों का केंद्रीय बोर्ड [एन. वी. रमना, सी. जे. आई.]
ए.

भंडारित वस्तुओं को बाद में या तो घरेलू उपभोग के लिए साफ़ किया जा सकता है या निर्यात किया जा सकता है।

27. सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 61 भंडारण के लिए अनुमत समय अवधि को अनिवार्य करती है।उदाहरण के लिए, एक 100% निर्यात-उन्मुख उपक्रम के लिए पूंजीगत वस्तुओं के मामले में, भंडारण की अनुमति तब तक दी जाती है जब तक कि इस तरह के सामान को गोदाम से हटा नहीं दिया जाता है।ऐसी वस्तुओं के मामले में जो ऐसे निर्यात-उन्मुख उद्देश्य के लिए अभिप्रेत नहीं हैं, सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 61 (1) (सी) के संदर्भ में एक वर्ष की समय अवधि निर्धारित की गई है। इस प्रावधान में एक विस्तार का भी प्रावधान है जिसे उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा एक वर्ष से अधिक की अवधि के लिए नहीं दिया जा सकता है।सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 61 (2) के तहत, उन वस्तुओं पर ब्याज वसूलने का प्रावधान किया गया है जो दी गई अवधि से परे भंडारित हैं।

बी.

सी.

28. सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 71 में प्रावधान है कि किसी भी भंडारित माल को गोदाम से बाहर नहीं निकाला जाएगा, सिवाय घर के उपभोग या निर्यात के लिए या किसी अन्य गोदाम में हटाने के लिए, या अधिनियम द्वारा प्रदान किए गए।

डी.

29. सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 72 इस मुद्दे से संबंधित है कि माल को गोदाम से अनुचित तरीके से कब हटाया गया था।चूंकि यह प्रावधान वर्तमान मामले के लिए कुछ प्रासंगिक है, इसलिए इसे नीचे निकाला गया हैः

“72. गोदाम आदि से अनुचित तरीके से सामान हटाया गया।—(1)

ई.

निम्नलिखित में से किसी भी मामले में, अर्थात -

(क) जहाँ धारा 71 का उल्लंघन करते हुए गोदाम से किसी भी भंडारित माल को हटा दिया जाता है;

(ख) जहाँ किसी भी भंडारित माल को उस अवधि की समाप्ति पर गोदाम से नहीं हटाया गया है जिसके दौरान ऐसे माल को धारा 61 के तहत गोदाम में रहने की अनुमति है;

एफ.

* * * * *

(घ) जहां कोई माल जिसके संबंध में धारा 59 के तहत बांड निष्पादित किया गया है और जिसे घरेलू उपभोग या निर्यात के लिए मंजूरी नहीं दी गई है या उचित अधिकारी की संतुष्टि के लिए विधिवत लेखा नहीं दिया गया है, वहां उचित अधिकारी मांग कर सकता है और ऐसे माल का मालिक तुरंत ब्याज, जुर्माने और दंड के साथ ऐसी वस्तुओं के लिए देय शुल्क की पूरी राशि का भुगतान करेगा।

जी.

एच.

(2) यदि कोई मालिक उप-धारा (1) के तहत मांगी गई किसी भी राशि का भुगतान करने में विफल रहता है, तो उचित अधिकारी, किसी अन्य उपाय पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मालिक को नोटिस देने के बाद (माल के किसी भी हस्तांतरण के बावजूद) गोदाम में अपने माल का इतना पर्याप्त हिस्सा, यदि कोई हो, जो उक्त अधिकारी उचित समझे, उसे हिरासत में ले सकता है और बेच सकता है।"

बी.

उपरोक्त से, यह ध्यान दिया जा सकता है कि जब माल का भंडारण किया जाता है और आयातक ने आवश्यक समय अवधि के भीतर घरेलू उपभोग या परिवहन के लिए माल को बाहर ले जाने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए हैं, तो उचित कार्यालय को सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 72 (2) के संदर्भ में कदम उठाने होते हैं। उपरोक्त प्रावधान यह अनिवार्य करता है कि यदि सीमा शुल्क, ब्याज, जुर्माना और अन्य जुर्माने से संबंधित मांगी गई राशि का भुगतान नहीं किया गया है, तो उचित अधिकारी द्वारा बकाया के निर्धारण के बाद ही माल बेचा जा सकता है।केवल उसी स्थिति में, इस तरह के निर्धारण के बाद, माल का पर्याप्त हिस्सा बेचा जा सकता है।

सी.

डी.

30. सीमा शुल्क अधिनियम पर चर्चा को पूरा करने के लिए, नीचे दी गई धारा 142 ए पर ध्यान देना आवश्यक हो सकता हैः

142 ए. अधिनियम के तहत देयता प्रथम प्रभार होगा।—इसके बावजूद

कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 529 ए, बैंकों और वित्तीय संस्थानों को देय ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 (1993 का 51) और वित्तीय परिसंपत्तियों का प्रतिभूतिकरण और

पुनर्निर्माण और प्रतिभूति ब्याज प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54) और दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 (2016 का 31) के अलावा किसी भी केंद्रीय अधिनियम या राज्य अधिनियम में इसके विपरीत कुछ भी, किसी निर्धारिती या इस अधिनियम के तहत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा देय शुल्क, जुर्माना, ब्याज या कोई अन्य राशि, निर्धारिती या व्यक्ति की संपत्ति पर पहला प्रभार होगा, जैसा कि मामला हो सकता है।वर्तमान मामले में, कॉर्पोरेट देनदार अपने व्यवसाय के हिस्से के रूप में कम से कम 2011 से कस्टम बंधुआ गोदामों में नियमित रूप से वस्तुओं का आयात और भंडारण करता था।जैसा कि पहले ही ऊपर उल्लेख किया जा चुका है, सी. आई. आर. पी. प्रक्रिया एन. सी. एल. टी. के आदेश द्वारा 01.08.2017 पर निगमित देनदार के खिलाफ शुरू की गई। रिकॉर्ड से ऐसा प्रतीत होता है कि सी. आई. आर. पी. की शुरुआत से पहले भंडारित वस्तुओं के संबंध में प्रत्यर्थी द्वारा कॉर्पोरेट देनदार के खिलाफ कोई नोटिस जारी नहीं किया गया था। वास्तव में, प्रत्यर्थी द्वारा जारी किए गए सभी शुल्क मांग नोटिस मार्च 2019 ए से थे।

ई.

एफ.

जी.

एच.

655

सुंदरेश भट्ट, ए. बी. जी. शिप्यार्ड बनाम अप्रत्यक्ष करों और सीमा शुल्कों का केंद्रीय बोर्ड [एन. वी. रमना, सी. जे. आई.] ए.

आगे की ओर।इस संदर्भ में हमारे लिए यह पता लगाना आवश्यक है कि आई. बी. सी. सीमा शुल्क अधिनियम को ओवरराइड करता है या इसके विपरीत।

32. विभिन्न कानूनों में पाए जाने वाले दिवाला से संबंधित प्रावधानों को एक व्यापक साधन में जोड़ने के लिए भारत में दिवाला और दिवालियापन संहिता 28.05.2016 से लागू हुई।पहले की कानूनी व्यवस्था के तहत, विभिन्न कानूनों के परिणामस्वरूप कई समानांतर कार्यवाही हो रही थी, जिसके परिणामस्वरूप ऋणदाताओं के लिए उनकी वसूली पर अनिश्चितता पैदा हो गई थी।आई. बी. सी. के अधिनियमन के पीछे के उद्देश्यों में से एक विभिन्न कानूनों के बीच संघर्ष को समाप्त करना था।

बी.

33. दिवाला कानून के पीछे के उद्देश्य को हैल्सबरी के लॉज़ ऑफ़ इंग्लैंड (पैरा 8, वॉल्यूम। III, चौथा संस्करण) निम्नलिखित तरीके सेः

सी.

“एक व्यक्ति को, जब तक वह विलायक है, घाटे में चल रहे व्यवसाय को जारी रखने का पूर्ण अधिकार है, लेकिन जिस क्षण वह दिवालिया हो जाता है, वह अपने लेनदारों के जोखिम पर ऐसा करता है।जैसे ही उसे पता चलता है कि वह पाउंड में लूप का भुगतान नहीं कर सकता है, हालांकि वह फिर भी सोच सकता है कि अगर वह आगे बढ़ता है तो वह अपनी स्थिति को पुनः प्राप्त करने में सक्षम हो सकता है, उसे अपने लेनदारों को एक साथ बुलाना चाहिए, जिन्हें उसकी गणना गलत होने की स्थिति में नुकसान उठाना होगा, और उन्हें यह निर्धारित करने के लिए छोड़ देना चाहिए कि व्यवसाय जारी रहेगा या नहीं।इसके अलावा, केवल सबसे बड़े लेनदारों से परामर्श करना पर्याप्त नहीं है।इस अपराध के अर्थ में कोई दिवालियापन नहीं है यदि परिसंपत्तियों की सावधानीपूर्वक, विवेकपूर्ण और जल्दबाजी में प्राप्ति देनदारियों की राशि पर पाउंड में लूप का भुगतान करने के लिए पर्याप्त होगी।”

डी.

ई.

34. भारत में निगमित दिवाला प्रक्रिया में शामिल विभिन्न चरणों के बारे में एक संक्षिप्त दृष्टिकोण प्राप्त करना प्रासंगिक हो सकता हैः

एफ.

(i) जब कोई वित्तीय चूक होती है, तो या तो उधारकर्ता (आई. बी. सी. की धारा 11 सहपठित धारा 10 के तहत कॉर्पोरेट ऋणदाता) या ऋणदाता (ऋणदाता-आई. बी. सी. की धारा 9 के तहत वित्तीय ऋणदाता या परिचालन ऋणदाता) समाधान प्रक्रिया शुरू करने के लिए एन. सी. एल. टी. से संपर्क कर सकते हैं।परिचालन लेनदारों को एन. सी. एल. टी. से संपर्क करने से पहले कॉर्पोरेट देनदार को 10 दिनों का नोटिस देना होगा। यदि निगमित देनदार प्रचालन लेनदार को बकाया चुकाने में विफल रहता है, या कोई मौजूदा विवाद या मध्यस्थता दिखाने में विफल रहता है, तो प्रचालन लेनदार एन. सी. एल. टी. से संपर्क कर सकता है।

जी.

एच.

((ii) एन. सी. एल. टी. द्वारा आवेदन स्वीकार किए जाने पर, लेनदार के दावों को 180 दिनों के लिए रोक दिया जाएगा, इस दौरान, एन. सी. एल. टी. कॉर्पोरेट देनदार के पुनरुद्धार के प्रस्तावों को सुनेगा और भविष्य की कार्रवाई पर निर्णय लेगा।इस अवधि के दौरान, यह सुनिश्चित करने के लिए एक रोक लगाई जाती है कि समाधान योजना की मंजूरी या परिसमापन प्रक्रिया शुरू होने तक

किसी अन्य मंच पर या किसी अन्य कानून के तहत कॉर्पोरेट ऋणदाता के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्यवाही शुरू या जारी न रखी जाए।

बी.

(iii) एन. सी. एल. टी. पहले एक अंतरिम दिवालिया पेशेवर की नियुक्ति करता है।अंतरिम दिवाला पेशेवर को तब तक पद संभालना होता है जब तक कि एक समाधान पेशेवर नियुक्त नहीं किया जाता है।वह आगे कॉर्पोरेट देनदार के संचालन का नियंत्रण लेता है और सूचना उपयोगिताओं से इसकी वित्तीय जानकारी एकत्र करता है।एन. सी. एल. टी. को निगमित दिवाला प्रक्रिया की शुरुआत की सार्वजनिक घोषणा भी सुनिश्चित करनी चाहिए और दावे प्रस्तुत करने के लिए कहना चाहिए।

सी.

डी.

((iv) निगमित दिवाला प्रक्रिया आमतौर पर एन. सी. एल. टी. द्वारा आवेदन स्वीकार किए जाने के 180 दिनों के भीतर पूरी की जानी चाहिए। लेनदारों की समिति को तब कानून द्वारा प्रदान किए गए दिवाला समाधान के संबंध में निर्णय लेना होता है।35. इस संदर्भ में, हम ध्यान दे सकते हैं कि जब दिवालिया प्रक्रिया शुरू होती है, तो न्यायनिर्णायक प्राधिकरण को कॉर्पोरेट ऋणदाता के खिलाफ किसी भी दंडात्मक कानूनी कार्रवाई को जारी रखने या शुरू करने पर रोक की घोषणा करने के लिए अनिवार्य किया जाता है।आई. बी. सी. की धारा 14 निम्नानुसार हैः

ई.

14.अधिस्थगन।—(1) उप-धारा (2) और (3) के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, दिवाला शुरू होने की तारीख को, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण आदेश द्वारा निम्नलिखित सभी को प्रतिबंधित करने के लिए स्थगन की घोषणा करेगा, अर्थात्ः—

एफ.

(क) निगमित ऋणी के विरुद्ध किसी न्यायालय, न्यायाधिकरण, मध्यस्थता पैनल या अन्य प्राधिकरण में किसी निर्णय, डिक्री या आदेश के निष्पादन सहित लंबित मुकदमों या कार्यवाही की स्थापना या निरंतरता;

जी.

(बी) कॉर्पोरेट देनदार द्वारा अपनी किसी भी संपत्ति या उसमें किसी भी कानूनी अधिकार या लाभकारी ब्याज का हस्तांतरण, बोझ, अलगाव या निपटान;

एच.

सुंदरेश भट्ट, ए. बी. जी. शिप्यार्ड बनाम अप्रत्यक्ष करों और ग्राहकों का केंद्रीय बोर्ड [एन. वी. रमना, सी. जे. आई.] ए.

(ग) प्रतिभूतिकरण और वित्तीय परिसंपत्तियों के पुनर्निर्माण और प्रतिभूति ब्याज प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54) के तहत किसी भी कार्रवाई सहित अपनी संपत्ति के संबंध में निगमित देनदार द्वारा बनाए गए किसी भी प्रतिभूति हित को पूर्ववत करने, पुनर्प्राप्त करने या लागू करने के लिए कोई कार्रवाई;

(घ) किसी स्वामी या पट्टेदार द्वारा किसी संपत्ति की वसूली जहां ऐसी संपत्ति पर निगमित ऋणी का कब्जा है या उसके कब्जे में है।

बी.

स्पष्टीकरण।—इस उप-धारा के प्रयोजनों के लिए, एतद्द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि तत्काल प्रभाव से किसी अन्य कानून में कुछ भी निहित होने के बावजूद, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय प्राधिकरण, क्षेत्रीय नियामक या तत्काल प्रभाव से किसी अन्य कानून के तहत गठित किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा दिए गए लाइसेंस, परमिट, पंजीकरण, कोटा, रियायत, मंजूरी या इसी तरह के अनुदान या अधिकार को दिवालिया होने के आधार पर निलंबित या समाप्त नहीं किया जाएगा, बशर्ते कि अधिस्थगन अवधि के दौरान लाइसेंस, परमिट, पंजीकरण, कोटा, रियायत, मंजूरी या इसी तरह के अनुदान या अधिकार के उपयोग या निरंतरता के लिए उत्पन्न वर्तमान बकाया के भुगतान में कोई चूक न हो।

सी.

डी.

ई.

(2 ए) जहां अंतरिम समाधान पेशेवर या समाधान पेशेवर, जैसा भी मामला हो, माल या सेवाओं की आपूर्ति को कॉर्पोरेट देनदार के मूल्य की रक्षा और संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण मानता है और ऐसे कॉर्पोरेट देनदार के संचालन को एक चालू संस्था के रूप में प्रबंधित करता है, तो ऐसी वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति अधिस्थगन की अवधि के दौरान समाप्त, निलंबित या बाधित नहीं की जाएगी, सिवाय इसके कि ऐसे कॉर्पोरेट देनदार ने अधिस्थगन अवधि के दौरान या ऐसी परिस्थितियों में ऐसी आपूर्ति से उत्पन्न बकाया का भुगतान नहीं किया है जो निर्दिष्ट किया जा सकता है।

एफ.

जी.

(3) उप-धारा (1) के प्रावधान निम्नलिखित पर लागू नहीं होंगे -

(क) ऐसे लेन-देन, समझौते या अन्य व्यवस्थाएँ जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा किसी वित्तीय क्षेत्र के नियामक या किसी अन्य प्राधिकरण के परामर्श से अधिसूचित किया जा सकता है;

(ख) किसी निगमित देनदार को गारंटी के अनुबंध में एक जमानत।

एच.

(4) स्थगन का आदेश इस तरह के आदेश की तारीख से कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया के पूरा होने तक प्रभावी रहेगाः

बशर्ते कि जहां निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया अवधि के दौरान किसी भी समय, यदि न्यायनिर्णायक प्राधिकरण धारा 31 की उप-धारा (1) के तहत समाधान योजना को मंजूरी देता है या धारा 33 के तहत निगमित देनदार के परिसमापन के लिए कोई आदेश पारित करता है, तो ऐसी मंजूरी या परिसमापन आदेश की तारीख से अधिस्थगन का प्रभाव समाप्त हो जाएगा, जैसा भी मामला हो।

बी.

36. आई. बी. सी. की धारा 14 सी. आई. आर. पी. कार्यवाही की शुरुआत और इसके प्रभावों पर रोक निर्धारित करती है।अधिस्थगन का एक उद्देश्य दिवाला समाधान प्रक्रिया के दौरान निगमित ऋणदाता की परिसंपत्तियों को एक साथ रखना और क़ानून के तहत परिकल्पित प्रक्रियाओं को व्यवस्थित रूप से पूरा करने की सुविधा प्रदान करना है।इस तरह के उपाय समानांतर कार्यवाही को कम करना सुनिश्चित करते हैं और प्रक्रिया में परस्पर विरोधी परिणामों की संभावना को कम करते हैं।इस संदर्भ में, दिवाला विधि समिति की फरवरी 2020 की रिपोर्ट को उद्धृत करना प्रासंगिक है, जो इस प्रकार हैः

सी.

डी.

“ 8.2 धारा 14 के तहत स्थगन का उद्देश्य "दिवाला समाधान प्रक्रिया के दौरान कॉर्पोरेट देनदार की परिसंपत्तियों को एक साथ रखना और दिवाला समाधान प्रक्रिया के दौरान परिकल्पित प्रक्रियाओं को व्यवस्थित रूप से पूरा करने में सुविधा प्रदान करना और यह सुनिश्चित करना है कि कंपनी एक चालू चिंता के रूप में जारी रह सकती है, जबकि लेनदार चूक के समाधान पर विचार करते हैं।” सी. आई. आर. पी. के दौरान निगमित देनदार को एक चालू चिंता के रूप में चलाने से समाधान प्राप्त करने में भी मदद मिलती है, जिससे सभी हितधारकों के लिए अधिकतम मूल्य प्राप्त

होने की संभावना है।अन्य क्षेत्राधिकारों में भी, परिसमापन और पुनर्गठन कार्यवाही सहित औपचारिक दिवाला कार्यवाही के आगमन पर रोक लगाई जा सकती है।UNCITRAL गाइड में कहा गया है कि पुनर्गठन की कार्यवाही के दौरान एक स्थगन महत्वपूर्ण है क्योंकि यह "व्यवसाय के निरंतर संचालन की सुविधा प्रदान करता है और देनदार को अपने मामलों को व्यवस्थित करने, पुनर्गठन योजना की तैयारी और अनुमोदन के लिए और अन्य कदमों जैसे कि लाभहीन गतिविधियों और भारी अनुबंधों को छोड़ने के लिए एक सांस लेने की जगह देता है, जहां उपयुक्त हो।"

ई.

एफ.

जी.

उपरोक्त से यह देखा जा सकता है कि रोक लगाने की एक प्रेरणा आईबीसी की धारा 14 (1) (ए), (बी) और (सी) से लेकर ए तक है।

एच.

659

सुंदरेश भट्ट, ए. बी. जी. शिप्यार्ड बनाम अप्रत्यक्ष करों और सीमा शुल्कों का केंद्रीय बोर्ड [एन. वी. रमना, सी. जे. आई.] ए.

एक ढाल बनाते हैं जो कॉर्पोरेट देनदार के खिलाफ आर्थिक हमलों की रक्षा करता है।यह कॉर्पोरेट देनदार को सांस लेने की जगह प्रदान करने के लिए किया जाता है, ताकि यह एक चालू चिंता के रूप में जारी रह सके और खुद को पुनर्स्थापित कर सके।कोई भी विपरीत व्याख्या इस कवच को तोड़ देगी और प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य पर प्रतिकूल परिणाम देगी।37. भले ही कोई कंपनी परिसमापन में चली जाती है, आई. बी. सी. की धारा 33 (5) के संदर्भ में एक स्थगन जारी रहता है जो निम्नानुसार हैः

बी.

33 (5) - धारा 52 के अधीन रहते हुए, जब परिसमापन आदेश पारित किया जाता है, तो निगमित देनदार द्वारा या उसके विरुद्ध कोई मुकदमा या अन्य कानूनी कार्यवाही शुरू नहीं की जाएगीः

सी.

बशर्ते कि निगमित ऋणी की ओर से परिसमापक द्वारा न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के पूर्व अनुमोदन के साथ कोई मुकदमा या अन्य कानूनी कार्यवाही शुरू की जा सकती है।

38. हम ध्यान दे सकते हैं कि आई. बी. सी., अधिक हालिया क़ानून होने के नाते, स्पष्ट रूप से सीमा शुल्क अधिनियम को ओवरराइड करता है। सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 142 ए को पढ़कर यह स्पष्ट हो जाता है। उपरोक्त प्रावधान में कहा गया है कि कंपनी अधिनियम 1956 की धारा

529 ए, बैंकों और वित्तीय संस्थानों के बकाया ऋणों की वसूली अधिनियम 1993, वित्तीय परिसंपत्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति ब्याज अधिनियम, 2002 और आईबीसी, 2016 के तहत मामलों को छोड़कर सीमा शुल्क अधिनियम के तहत एक निर्धारिती की संपत्तियों पर सीमा शुल्क प्राधिकरण का पहला प्रभार होगा।तदनुसार, सीमा शुल्क अधिनियम के तहत बनाए गए इस तरह के अपवाद को आईबीसी की धारा 238 के तहत भी विधिवत स्वीकार किया जाता है।इसके अतिरिक्त, हम ध्यान दे सकते हैं कि आई. बी. सी. की धारा 238 स्पष्ट रूप से कानून के किसी भी प्रावधान को ओवरराइड करती है जो आई. बी. सी. के साथ असंगत है। आई. बी. सी. की धारा 238 निम्नानुसार प्रदान करती हैः

डी.

ई.

एफ.

238. अन्य कानूनों को ओवरराइड करने के लिए इस संहिता के प्रावधान **-**

इस संहिता के प्रावधानों का प्रभाव होगा, इसके बावजूद कि उस समय लागू किसी अन्य कानून या किसी ऐसे कानून के आधार पर प्रभावी होने वाले किसी दस्तावेज में कुछ भी असंगत है।

जी.

39. एन. सी. एल. ए. टी. ने सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 142 ए और आई. बी. सी. की धारा 238 के प्रभाव को कम करते हुए कहा है कि सीमा शुल्क अधिनियम अपने आप में एक पूर्ण संहिता है और कोई भी व्यक्ति सीमा शुल्क का भुगतान किए बिना गोदाम से माल को हटाने की मांग नहीं कर सकता है।एनसीएलएटी

कस्टम्स कलेक्टर बनाम डायट्रॉन (इंडिया) लिमिटेड के फैसले पर निर्भर करता है।

एच.

1999 कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा ई. एल. टी. 342. कैल., जिसने यह निर्धारित किया कि कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 529 और 530 के तहत दिवालिया प्रक्रिया के दौरान भी सीमा शुल्क का पहला प्रभार होता है।हालाँकि, उक्त मिसाल पर भरोसा करना उचित नहीं है क्योंकि एन. सी. एल. ए. टी. इस बात पर ध्यान देने में विफल रहा है कि 2011 के वित्त अधिनियम की धारा 51 के माध्यम से सीमा शुल्क अधिनियम के तहत धारा 142 ए को शामिल करके इस तरह की व्याख्या को विधायी रूप से खारिज कर दिया गया है।

बी.

40. उपरोक्त से, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि सीमा शुल्क अधिनियम और आई. बी. सी. अपने-अपने क्षेत्रों में कार्य करते हैं।किसी भी संघर्ष के मामले में, आई. बी. सी. सीमा शुल्क अधिनियम को ओवरराइड करता है। वर्तमान संदर्भ में, इस न्यायालय को यह पता लगाना है कि क्या दी गई परिस्थितियों में दो अलग-अलग कानूनों के संचालन में कोई टकराव है।पहले प्रयास के रूप में, इस न्यायालय को दोनों विधानों को सामंजस्यपूर्ण रूप से पढ़ने के लिए अनिवार्य किया गया है, जब तक कि इस न्यायालय को अपने संचालन में कोई स्पष्ट संघर्ष न मिले।

सी.

41. पुनरावृत्ति की कीमत पर, हम ध्यान दे सकते हैं कि प्रत्यर्थी द्वारा जारी किए गए मांग नोटिस स्पष्ट रूप से आई. बी. सी. की धारा 14 के तहत हैं क्योंकि वे सी. आई. आर. पी. की कार्यवाही शुरू होने के बाद जारी किए गए थे।आई. बी. सी. की धारा 14 के तहत मोहलत तब लागू की गई थी जब 01.08.2017 पर दिवालिया कार्यवाही शुरू की गई थी।प्रत्यर्थी प्राधिकारी द्वारा भेजा गया पहला नोटिस 29.03.2019 पर था।इसके अलावा, जब दिवाला समाधान विफल हो गया और परिसमापन प्रक्रिया शुरू हुई, तो एन. सी. एल. टी. ने आई. बी. सी. की धारा 33 (5) के तहत रोक लगाने का आदेश पारित किया। इस आदेश के बाद ही प्रत्यर्थी ने कॉर्पोरेट देनदार के खिलाफ सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 72 के तहत नोटिस जारी किया।दिवालिया कार्यवाही शुरू होने के बाद प्रत्यर्थी द्वारा विभिन्न मांग नोटिस स्पष्ट रूप से जारी किए गए हैं, जिसमें परिसमापन स्थगन लगाए जाने के बाद भी कुछ नोटिस जारी किए गए हैं।

डी.

ई.

एफ.

42. हमारा स्पष्ट मत है कि स्थगन अवधि के दौरान सीमा शुल्क के प्रवर्तन की मांग करने के लिए मांग नोटिस स्पष्ट रूप से आई. बी. सी. की धारा 14 या 33 (5) के प्रावधानों का उल्लंघन करेंगे, जैसा भी मामला हो।ऐसा इसलिए है क्योंकि मांग नोटिस कॉर्पोरेट देनदार के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की शुरुआत है।हालाँकि, उपरोक्त विश्लेषण तब तक पूरा नहीं होगा जब तक कि यह न्यायालय आई. बी. सी. के तहत अधिस्थगन अवधि के दौरान प्रत्यर्थी प्राधिकरण द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियों की सीमा की जांच नहीं करता है।

जी.

43. उपरोक्त संदर्भ में, इस न्यायालय का निर्णय

S.V.Kondaskar बनाम वी. एम. देशपांडे, ए. आई. आर. 1972 एस. सी. 878, अत्यंत ए है।

एच.

सुंदरेश भट्ट, ए. बी. जी. शिप्यार्ड बनाम अप्रत्यक्ष करों और सीमा शुल्कों का केंद्रीय बोर्ड [एन. वी. रमना, सी. जे. आई.] ए.

प्रासंगिक।उस मामले में, इस न्यायालय ने आयकर अधिनियम, 1961 के साथ कंपनी अधिनियम 1956 (दिवालियापन प्रावधान) की धारा 446 की परस्पर क्रिया की व्याख्या करते हुए निम्नलिखित निर्णय दिया:

“7. …विधायी इतिहास और भारतीय कंपनी अधिनियम की योजना, विशेष रूप से समग्र रूप से पठित धारा 446 की भाषा को देखते हुए, हमें ऐसा प्रतीत होता है कि उप-धारा (1) में "अन्य कानूनी कार्यवाही" अभिव्यक्ति और उप-धारा (2) में "कानूनी कार्यवाही" अभिव्यक्ति एक ही अर्थ को व्यक्त करती है और दोनों उप-धाराओं में कार्यवाही ऐसी होनी चाहिए जिससे समापन करने वाले न्यायालय द्वारा उचित रूप से निपटा जा सके।आय कर अधिनियम, हमारी राय में, एक पूर्ण संहिता है और यह विशेष रूप से आय कर के मूल्यांकन और पुनर्मूल्यांकन के संबंध में है जिसके साथ हम वर्तमान मामले में चिंतित हैं।तथ्य यह है कि किसी निर्धारिती द्वारा देय कर की राशि निर्धारित या परिमाणित किए जाने के बाद परिसमापन में किसी कंपनी से इसकी वसूली अधिनियम द्वारा नियंत्रित होती है क्योंकि देय आयकर को भी ऋण होने के कारण कंपनी से देय अन्य ऋणों के बराबर होना पड़ता है, इसका मतलब यह नहीं है कि कर की राशि की गणना के लिए मूल्यांकन कार्यवाही को ऐसी अन्य कानूनी कार्यवाही माना जाना चाहिए जो केवल अधिनियम की धारा 446 के तहत परिसमापन न्यायालय की अनुमति से शुरू या जारी रखी जा सकती है। परिसमापन न्यायालय, हमारी राय में, निर्धारिती द्वारा देय कर की राशि का आकलन करते समय आयकर अधिकारियों के कार्यों का पालन नहीं कर सकता है, भले ही निर्धारिती वह कंपनी हो जिसे न्यायालय द्वारा बंद किया जा रहा हो।निर्धारण या पुनर्मूल्यांकन कार्यवाही के दौरान आयकर अधिकारी द्वारा दिए गए आदेश आयकर अधिनियम के तहत उच्च पदानुक्रम में अपील के अधीन हैं। उच्च न्यायालय को संदर्भित करने और उच्च न्यायालय के फैसलों से उच्चतम न्यायालय में अपील करने के लिए भी प्रावधान हैं और फिर आयकर आयुक्त द्वारा संशोधन के प्रावधान हैं। यदि समापन करने वाली न्यायालय को निर्धारण कार्यवाही को अपने पास स्थानांतरित करने और कंपनी का आयकर में आकलन करने का अधिकार दिया जाता है तो इसके विसंगत परिणाम होंगे।श्री देसाई द्वारा अपीलार्थी की ओर से तर्क दिया गया है कि समापन न्यायालय को अपने विवेकाधिकार में किसी दिए गए मामले में मूल्यांकन कार्यवाही को स्थानांतरित करने से इनकार करने का अधिकार है, लेकिन अधिनियम की धारा 446 की सादे भाषा में शक्ति उस न्यायालय में निहित होनी चाहिए, जिसका उपयोग केवल तभी किया जाना चाहिए जब इसे समीचीन माना जाए।हम इस तर्क से प्रभावित नहीं हैं।धारा 446 की भाषा

बी.

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

662

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2022] 12 एस सी आर।

इस तरह से समझा जाना चाहिए कि ऐसे चौंका देने वाले परिणामों को समाप्त किया जाए जैसे कि आयकर अधिनियम द्वारा उसे प्रदत्त आयकर अधिकारी की शक्तियों के साथ समापन न्यायालय को निवेश करना, क्योंकि हमारे विचार में विधायिका इस तरह के परिणाम का इरादा नहीं रख सकती थी।8. यह तर्क कि किसी कंपनी के मूल्यांकन या पुनर्मूल्यांकन की कार्यवाही, जिसे समाप्त किया जा रहा है, केवल परिसमापन न्यायालय की अनुमति से शुरू या जारी रखी जा सकती है, अधिनियम और आयकर अधिनियम दोनों की योजना पर भी अस्वीकार्य है।हमें ऐसा कोई सिद्धांत नहीं दिखाया गया है जिसके आधार पर परिसमापन न्यायालय को कंपनी द्वारा देय कर की राशि निर्धारित करने के लिए मूल्यांकन कार्यवाही को रोकने की शक्ति दी जानी चाहिए, जिसे समाप्त किया जा रहा है।परिसमापन न्यायालय के पास आयकर निर्धारित होने और परिसमापक से इसके भुगतान की मांग के बाद राजस्व के दावे की जांच करने की पूरी शक्ति होगी।परिसमापन न्यायालय के लिए यह तय करना खुला रहेगा कि कानून के तहत विभाग द्वारा निर्धारित आयकर की राशि को परिसमापन में कंपनी की निधियों पर कानूनी दायित्व के रूप में कब तक स्वीकार किया जाना चाहिए।उस स्तर पर समापन न्यायालय अधिनियम के तहत कंपनी और उसके लेनदारों के हितों की पूरी तरह से रक्षा कर सकती है। संयोगवश, यह इंगित किया जा सकता है कि बार में कोई भी अंग्रेजी निर्णय हमारे ध्यान में नहीं लाया गया था जिसके तहत मूल्यांकन कार्यवाही को समापन न्यायालय द्वारा नियंत्रित किया गया था।हमने जो निर्णय लिए हैं, उनके आधार पर

बी.

सी.

डी.

ई.

सेठ स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड के मामले में, (परिसमापन में) (1962)

46 आई. टी. आर. 193 (पुंज) (सुप्रा) और मैसूर स्पन सिल्क मिल्स लिमिटेड, (परिसमापन में) (1968) 68 आई. टी. आर. 295 (एम. आई. एस.) (सुप्रा) कानून के सही नियम को निर्धारित करते प्रतीत नहीं होते हैं कि आयकर अधिकारियों को मूल्यांकन या पुनर्मूल्यांकन की कार्यवाही शुरू करने या जारी रखने के लिए समापन न्यायालय से अनुमति लेनी चाहिए।"

एफ.

44. इसलिए, इस न्यायालय ने निर्णय दिया कि अधिकारी केवल कर, ब्याज, जुर्माना या किसी भी जुर्माने को निर्धारित करने के लिए कदम उठा सकते हैं जो देय है।हालांकि, प्राधिकरण अधिस्थगन की अवधि के दौरान देय कर पर वसूली या ब्याज लगाने के दावे को लागू नहीं कर सकता है।हमारी राय है कि उपरोक्त अनुपात इस संदर्भ में आई. बी. सी. और सीमा शुल्क अधिनियम के बीच परस्पर क्रिया पर पूरी तरह से लागू होता है।

जी.

45. उपरोक्त चर्चा से हमारा मानना है कि प्रत्यर्थी केवल कर्तव्यों और अन्य शुल्कों का मूल्यांकन या पुनर्मूल्यांकन शुरू कर सकता है।वे ऐसी सीमा का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं और वसूली ए शुरू करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं।

एच.

663

सुंदरेश भट्ट, ए. बी. जी. शिप्यार्ड बनाम अप्रत्यक्ष करों और ग्राहकों का केंद्रीय बोर्ड [एन. वी. रमना, सी. जे. आई.]
ए.

आई. बी. सी. की धारा 14 या 33 (5) का उल्लंघन। अंतरिम समाधान पेशेवर, समाधान पेशेवर या परिसमापक, जैसा भी मामला हो, का यह सुनिश्चित करने का दायित्व है कि मूल्यांकन कानूनी है और उसे किसी भी मूल्यांकन पर सवाल उठाने के लिए पर्याप्त शक्ति प्रदान की गई है, यदि वह इसे अत्यधिक पाता है।

46. इस मामले का एक और पहलू है जिसे अधिस्थगन अवधि के दौरान सीमा शुल्क अधिनियम और आई. बी. सी. की विसंगति को चित्रित करने के लिए उजागर करने की आवश्यकता है।वर्तमान मामले में, आई. बी. सी. की धारा 33 (5) के तहत लगाए गए अधिस्थगन का स्पष्ट उल्लंघन करते हुए, सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 72 के तहत प्रत्यर्थी द्वारा दिनांकित 11.07.2019 का मांग नोटिस जारी किया गया था। सीमा शुल्क का भुगतान न करने के लिए सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 72 के तहत नोटिस जारी करना एक कॉर्पोरेट देनदार के खिलाफ कानूनी कार्यवाही शुरू करने के दायरे में आता है।परिसमापन प्रक्रिया के तहत भी परिसमापक को आई. बी. सी. की धारा 35 (1) (बी) के तहत निगमित ऋणदाता की परिसंपत्तियों और वस्तुओं को सुरक्षित करने की जिम्मेदारी दी जाती है।

बी.

सी.

47. जैसा कि पहले निर्धारित किया गया है, सीमा शुल्क अधिनियम और आई. बी. सी. को सामंजस्यपूर्ण तरीके से पढ़ा जा सकता है जिसमें सीमा शुल्क अधिनियम के तहत अधिकारियों के पास परिसमापक के समक्ष आई. बी. सी. की धारा 53 के संदर्भ में दावा करने के लिए परिचालन ऋण की मात्रा-इस मामले में सीमा शुल्क-निर्धारित करने का सीमित अधिकार क्षेत्र है।हालाँकि, प्रत्यर्थी के पास आई. बी. सी. की धारा 53 के दायरे से परे अपने दावे को निष्पादित करने की शक्ति नहीं है। इस तरह का सामंजस्यपूर्ण निर्माण निर्णय के अनुरूप होगा।

डी.

ई.

गुजरात में ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड बनाम.अमित गुप्ता, (2021) 7 एससीसी 209,

जिसमें इस न्यायालय द्वारा आई. बी. सी. के तहत एन. सी. एल. टी. के अधिकार क्षेत्र और अन्य प्राधिकरणों के वैध अधिकार क्षेत्र पर संभावित अतिक्रमण के बीच संतुलन बनाया गया था।

48. लेकिन हमें ऐसा लगता है कि विवादित आदेश में एन. सी. एल. ए. टी. ने गुजरात में इस न्यायालय के उपरोक्त फैसले की गलत व्याख्या की है।

एफ.

ऊर्जा विकास निगम मामला (ऊपर) और निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गयाः

“ 7.16 इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि एन. सी. एल. टी. और एन. सी. एल. ए. टी. अन्य न्यायालयों, न्यायाधिकरणों और मंचों के वैध अधिकार क्षेत्र को हड़प नहीं सकते हैं जब विवाद केवल कॉर्पोरेट देनदार की दिवालियापन से या उससे संबंधित नहीं होता है।तत्काल मामले में, निगमित देनदार ने कई वर्षों तक आयातित वस्तुओं को सीमा शुल्क के गोदामों में छोड़ दिया था और आयात शुल्क और अन्य शुल्क का भुगतान करने में विफल रहा था और कई वर्षों से उन वस्तुओं को अपने कब्जे में लेने के लिए कोई कदम नहीं उठाया था।इसलिए, आयातक ने अपना अधिकार खो दिया था

जी.

एच.

आयातित वस्तुएँ।नतीजतन, सीमा शुल्क अधिकारियों को अधिनियम की धारा 72 के तहत सरकारी बकाया की वसूली के लिए उन वस्तुओं को बेचने का पूरा अधिकार है।परिसमापक को उन वस्तुओं पर कब्जा करने का कोई अधिकार नहीं है जिनके लिए निगम ऋणदाता का अधिकार कानून के प्रभाव से त्याग दिया गया है।निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू करने से पहले भी निगमित ऋणदाता कंपनी सीमा शुल्क का भुगतान करने के अलावा आयातित वस्तुओं का कब्जा हासिल नहीं कर सकती थी।समाधान पेशेवर/परिसमापक, जो वस्तुतः कंपनी का प्रतिनिधित्व करते हैं, खुद कॉर्पोरेट देनदार से बेहतर स्थिति में नहीं खड़े हो सकते हैं।"

बी.

सी.

49. इस तरह की व्याख्या स्पष्ट रूप से इस तथ्य की अनदेखी करती है कि कोई "माल का परित्याग" नहीं था जो सीमा शुल्क अधिकारियों को खुद को स्वामित्व हस्तांतरित करने के लिए न्यायिक प्रक्रिया शुरू करने के लिए अधिकृत करेगा।इससे पहले कि किसी भी माल को "परित्यक्त" घोषित किया जा सके, उचित सूचना के बाद किसी प्राधिकरण द्वारा उस पर निर्णय लिया जाना चाहिए।पद ग्रहण या माना नहीं जा सकता है।हाथ में मामले में, ऐसा कोई निर्णय या नोटिस रिकॉर्ड पर नहीं रखा गया है जो यह सुझाव दे कि भंडारित माल का ऐसा परित्याग अधिस्थगन लागू होने से पहले हुआ था।

डी.

50. एन. सी. एल. ए. टी. ने निगमित देनदार से प्रत्यर्थी प्राधिकारी को अधिकार देने के प्रश्न पर निर्णय लेते हुए बिक्री से संबंधित सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 72 (2) के अधिदेश की स्पष्ट रूप से अनदेखी की है।एन. सी. एल. ए. टी. की यह व्याख्या आई. बी. सी. की धारा 14 और 33 (5) के तहत स्थगन के प्रभावों को स्पष्ट रूप से नजरअंदाज करती है। तथ्य यह है कि सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 72 (2) के तहत शुल्क मांग नोटिस और नोटिस अधिस्थगन अवधि के दौरान जारी किए गए थे, जिसे एन. सी. एल. ए. टी. द्वारा पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया है और इसके परिणामस्वरूप अधिस्थगन को अनुचित बना दिया गया है।

ई.

एफ.

51. सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 72 के तहत निर्धारिती से सीमा शुल्क प्राधिकरण को माल के स्वामित्व के मानित हस्तांतरण के संबंध में एन. सी. एल. ए. टी. द्वारा प्रदान की गई व्याख्या आई. बी. सी. की धारा 14 के सामने होगी, जिसे धारा 25 और 33 (5) के सहपठित पढ़ा जाएगा।इसके अलावा, इस तरह के मानित हस्तांतरण को कानून में स्वीकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह संविधान के अनुच्छेद 300 ए का उल्लंघन होगा, क्योंकि संपत्तियों को पर्याप्त सुनवाई या किसी भी रूप के किसी भी निर्णय के बिना सीमा शुल्क प्राधिकरण को हस्तांतरित किया जाता है।इस तरह की व्याख्या को इस न्यायालय द्वारा स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

जी.

एच.

665

सुंदरेश भट्ट, ए. बी. जी. शिप्यार्ड बनाम अप्रत्यक्ष करों और ग्राहकों का केंद्रीय बोर्ड [एन. वी. रमना, सी. जे. आई.]
ए.

ए.

52. दिलचस्प बात यह है कि वर्तमान मामले में, आई. बी. सी. की धारा 53 के अनुरूप बिक्री की आय के वितरण के लिए दावे करने के लिए सीमा शुल्क अधिकारियों ने आई. बी. बी. आई. परिसमापन प्रक्रिया विनियमन 2016 के विनियमन 17 के तहत अपीलकर्ता/परिसमापक के समक्ष फॉर्म सी दायर किया। प्रत्यर्थी प्राधिकारी, ऐसे दावे दायर करने पर यू-टर्न लेता है और इसके बजाय, सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 72 (2) के तहत वसूली की कार्यवाही शुरू करने का एकतरफा निर्णय लेता है। इसके अलावा, सीमा शुल्क प्राधिकरण सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 72 (2) के तहत विचार किए गए नोटिस और न्यायिक आवश्यकताओं को भी दरकिनार करता है और यह स्थिति लेता है कि परिसंपत्तियों के संबंध में स्वामित्व का मानित हस्तांतरण है क्योंकि सीमा शुल्क और अन्य शुल्कों का विधिवत भुगतान नहीं किया गया था।आई. बी. सी. के तहत निर्धारित विशेष प्रक्रिया को पारित करने के लिए कानून में कोई आधार नहीं होने के बावजूद, रुख में इस तरह का बदलाव स्पष्ट रूप से एक विचार के बाद है।

बी.

सी.

53. स्पष्टता के लिए निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दिया जा सकता हैः

डी.

क) क्या आई. बी. सी. के प्रावधान सीमा शुल्क अधिनियम पर हावी होंगे, और यदि हैं, तो किस हद तक?

आई. बी. सी. सीमा शुल्क अधिनियम पर इस हद तक प्रबल होगा कि एक बार आई. बी. सी. की धारा 14 या 33 (5) के संदर्भ में स्थगन लागू हो जाने के बाद, प्रत्यर्थी प्राधिकरण के पास सीमा शुल्क और अन्य शुल्कों की मात्रा का आकलन/निर्धारण करने के लिए केवल एक सीमित अधिकार क्षेत्र है।प्रत्यर्थी प्राधिकारी के पास सीमा शुल्क अधिनियम के तहत प्रदान की गई बिक्री/जब्ती के माध्यम से बकाया की वसूली शुरू करने की शक्ति नहीं है।

ई.

एफ.

ख) क्या प्रत्यर्थी माल पर स्वामित्व का दावा कर सकता है और परिसमापन प्रक्रिया शुरू होने पर सीमा शुल्क अधिनियम के संदर्भ में माल बेचने के लिए नोटिस जारी कर सकता है?

नकारात्मक जवाब दिया।

जी.

54. उपरोक्त चर्चाओं के आधार पर, हमारे निष्कर्ष निम्नलिखित हैंः

i) एक बार जब आई. बी. सी. की धारा 14 या 33 (5) के संदर्भ में स्थगन लगाया जाता है, तो प्रत्यर्थी प्राधिकरण के पास मूल्यांकन/निर्धारण करने के लिए केवल एक सीमित अधिकार क्षेत्र होता है।

एच.

सीमा शुल्क और अन्य शुल्कों की मात्रा।प्रत्यर्थी प्राधिकारी के पास सीमा शुल्क अधिनियम के तहत प्रदान की गई बिक्री/जब्ती के माध्यम से बकाया की वसूली शुरू करने की शक्ति नहीं है।

ii) इस तरह के मूल्यांकन के बाद, प्रत्यर्थी प्राधिकरण को आई. बी. सी. के तहत निर्धारित समय अवधि के सख्त अनुपालन में निर्धारित प्रक्रिया के संदर्भ में अपने दावों (सीमा शुल्क बकाया/परिचालन ऋण से संबंधित) को न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।

बी.

iii) किसी भी मामले में, आई. आर. पी./आर. पी./परिसमापक आई. बी. सी. के संदर्भ में उचित तरीके से निपटने के लिए प्रत्यर्थी प्राधिकरण से तुरंत सामान सुरक्षित कर सकता है।

सी.

55. नतीजतन, हम अपील की अनुमति देते हैं और एन. सी. एल. ए. टी. के विवादित आदेश और फैसले को अपास्त करना देते हैं। लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं होगा।

डी.

दिव्या पांडे

अपील की अनुमति दी गई।

(सहायकः रूपांशी विरंग, एलसीआरए)

ई.

एफ.

जी.

एच.